पत्रांक-पथ0ने0/1/2026-SEC_4-UDHD DEPT 1532 /न०वे०एवंआ०वे०

**बिहार सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना,
*द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

दिनांक 13/11/24

विषय:- निर्गत विभागीय राज्योदश संख्या-450 दिनांक-28.03.2025 के व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत विभागीय राज्योदश संख्या-450 दिनांक-28.03.2025 द्वारा विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु तत्काल राशि 404.60600 लाख रूपये मात्र आवंटित की गई थी, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अत: विभागीय राज्यादेश संख्या-450 दिनांक-28.03.2025 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।